भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1224**
**(जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)**

**नया आयकर विवरणी फॉर्म**

**1224. श्री सुधीर गुप्ताः**
**श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः**
**श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत नए आयकर विवरणी (आईटीआर) फॉर्म जारी करने का है और जनवरी, 2026 तक इससे संबंधित नियम क्या हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने नए नियमों और फॉर्मों को अंतिम रूप देने से पहले कर विशेषज्ञों, उद्योग निकायों और अन्य हितधारकों से परामर्श किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि सरलीकृत आईटीआर फॉर्म उपयोगकर्ता के अनुकूल हों और करदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम किया जा सके; और
(च) फाइलिंग प्रक्रिया, कर निर्धारण तंत्र और करदाता सेवाओं के संदर्भ में सरलीकृत आईटीआर ढांचे से करदाताओं को किस प्रकार लाभ होगा?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री**
**(श्री पंकज चौधरी)**

**(क) और (ख):** आयकर अधिनियम, 2025 ("अधिनियम") दिनांक 21 अगस्त, 2025 को विद्यमान आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर अधिनियमित किया गया है। आयकर अधिनियम, 2025 कर वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम के अधिनियमन के फलस्वरूप, परिणामी नियमों और प्रपत्रों की अधिसूचना जारी की जाएगी।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रपत्रों के संदर्भ में, आईटीआर प्रपत्रों का समेकन और सरलीकरण, जो निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी है, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 2025 से संबंधित आयकर रिटर्न फॉर्म में बजट, 2026 के दौरान उक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप परिवर्तन की आवश्यकता है, और तदनुसार, पहले कर-वर्ष 2026-27 से संबंधित आयकर रिटर्न को वित्त वर्ष 2027-28 से पहले अधिसूचित किया जाएगा।

**(ग) से (च):** जी हाँ, आयकर रिटर्न के सरलीकरण पर सीबीडीटी द्वारा गठित समिति ने कर विशेषज्ञों, संस्थागत निकायों और आयकर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया है। समिति ने आयकर रिटर्न प्रपत्रों का सुझाव दिया हैं, जिन पर विचार किया जाएगा।

********